भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4225
उत्तर देने की तारीख 22 मार्च, 2021
सोमवार, 01 चैत्र, 1943 (शक)

हरियाणा के विद्यार्थियों को कृषि प्रशिक्षण

4225 सुश्री सुनीता दुग्गल:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मंत्रालयों और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा हरियाणा के कितने विद्यार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) रोजगार प्राप्त करने वाले शिक्षुओं की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त संख्या में से महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या सरकार हरियाणा राज्य की आवश्यकतानुसार हरियाणा के विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राज कुमार सिंह)

(क) से (ग) जुलाई, 2015 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में, सरकार हरियाणा राज्य सहित अखिल भारतीय आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में 40 से अधिक कौशल विकास स्कीम/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) हरियाणा में महिलाओं सहित युवाओं के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस), और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)। हरियाणा में 2016-17 से इन स्कीमों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	स्कीम	प्रशिक्षित (संख्या)	प्रशिक्षित छात्राओं का प्रतिशत	सूचित नियोजन/स्व-रोजगार	छात्राओं के सूचित नियोजन का प्रतिशत
1.	पीएमकेवीवाई	4,92,763	34.43%	1,36,869	50.35%
2.	जेएसएस	29,872	79.68%	*	*
3	एनएपीएस	1,06, 092	87.05%	*	*
4	सीटीएस (आईटीआई) [2019-20]	48,593	18.77%	*	*
5	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा शुल्क आधारित कार्यक्रम	2,83,234	62.75%	54,443	26.63%

* इन स्कीमों में मानदंड के रूप में नियोजन शामिल नहीं है।

जहां तक अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण का संबंध है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत हरियाणा राज्य में 2014-15 से दिसंबर 2020 तक 30,957 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 27,116 उम्मीदवार नियोजित किए गए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएओ-एनयूएलएम) के तहत, सितंबर 2013 में शुरू होने के बाद से हरियाणा राज्य में 19,980 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। इस अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 2,906 लाभार्थियों की सहायता की गई है।

(घ) और (ङ) हरियाणा राज्य में पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-2020) के तहत 19-01-2021 तक 13,351 उम्मीदवारों को कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, एनएसडीसी के शुल्क आधारित कार्यक्रमों के तहत 7,809 उम्मीदवारों को कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, एमएसडीई के तत्वावधान में भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) पीएमकेवीवाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बागवानी के समेकित विकास मिशन और हरियाणा कौशल विकास मिशन के माध्यम से चलाई जा रही योजना स्कीमों जैसी विभिन्न केंद्रीय और राज्य पोषित योजनाओं के तहत हरियाणा में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करती है। हरियाणा में विभिन्न कार्यक्रमों में एएससीआई द्वारा विकसित 33 जॉब रोलों/अर्हता पैकों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

****